

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली  
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 38/2026

GCMS No. : 2026/72

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
दिलीप सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		1. गणपतलाल पुत्र कुनाराम मैसर्स प्रमिला प्रोविजन स्टोर बंस स्टेण्ड सोजत सिटी,पाली मोबाईल नम्बर 9460305500 2. आसकरण पुत्र श्री कन्हैयालाल उपाध्याय, मैसर्स AS Trading company Near Narsingji ki pol Mata ka than jodhpur

“प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम  
2011 एवं धारा 51”

—: निर्णय :—

दिनांक: 30.03.2026

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित रहने एवं प्रार्थी भी वक्त बहस अनुपस्थित रहने से प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है एवं राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के अधिकृत किया गया एवं श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ./खा. सु एवं औ.नि./संस्था/2025/101/दिनांक 15.01.2025 के अनुसार प्रार्थी का कार्यक्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली आवंटित किया गया हैं एवं पाली जिले में आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र प्रार्थी के कार्यक्षेत्र में आते है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की हैसियत से दिनांक 25.01.2025 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
पाली

मैसर्स प्रमिला प्रोविजन स्टोर बस स्टेण्ड सोजत सिटी, पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। अप्रार्थी से उसका परिचय पुछने पर उसने अपना नाम गणपत लाल पुत्र कुनाराम घांची बताया एवं स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। फर्म का निरीक्षण के दौरान वहां पर Cow Ghee (ब्राण्ड सुदर्शन) 200 एमएल के 40 पैकेट रखे हुए थे। जिसे अप्रार्थी आमजन को विक्रय कर रहा था। जिसमें मिलावट का सन्देह होने पर रूबरू गवाहान के सामने Cow Ghee (ब्राण्ड सुदर्शन) का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर की, जिसके लिए मैने दो प्रतियों में प्रपत्र 5ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। मौके पर स्वतंत्र गवाह नही होने से साथ आये कम्प्युटर ऑपरेटर ओमप्रकाश कार्यालय हाजा को गवाह बनाया गया एवं अप्रार्थी को बता दिया की Cow Ghee (ब्राण्ड सुदर्शन) का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जांच हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में Cow Ghee (ब्राण्ड सुदर्शन) वास्ते जांच हेतु 200-200 ग्राम से 04 पैकेट क्रय कर उसकी कीमत 560/- रुपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा Cow Ghee (ब्राण्ड सुदर्शन) को नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर-2792 लिखा एवं नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनों को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ले में लिया एवं मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार की एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होंने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म-6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी संख्या 01 ने Cow Ghee (ब्राण्ड सुदर्शन) का नमुना लेते समय अवगत कराया कि उक्त Cow Ghee (ब्राण्ड सुदर्शन) थोक विक्रेता एएस ट्रेडिंग कम्पनी माता का थाना जोधपुर से जरिये बिल संख्या घी/1177 दिनांक 21.01.2025 खरीद किया है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 02 को पक्षकार बनाया एवं उक्त नमुना घी के संबंध में अपना जवाब या दस्तावेज पत्र प्राप्ति के पांच दिवस के अन्दर पेश करने हेतु जरिये पत्रांक 2025/आर-2792 दिनांक 15.05.2025 से सूचित किया जिस पर अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा किसी प्रकार का जवाब या पत्र व्यवहार नहीं किये जाने से अप्रार्थीगण को पक्षकार संयोजित किया गया। Cow Ghee (ब्राण्ड सुदर्शन) अप्रार्थी की फर्म से लिया गया Cow Ghee (ब्राण्ड सुदर्शन) का



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

पाली

नमुना संख्या आर-2792 के संबंध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/130/एक्ट/2025/177 दिनांक 30.01.2025 के अनुसार Sub-standard (अवमानक) पाया गया। जिसकी प्रति अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाकर सुचित किया कि वह उक्त नमुने की जांच पुनः करवाना चाहते हैं तो 30 दिन के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं। जिस पर अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का पत्र व्यवहार एवं जवाब पेश नहीं किये जाने से प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub-standard (अवमानक) Cow Ghee (ब्राण्ड सुदर्शन) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 ने पूर्व में न्यायालय में उपस्थित होकर कथन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ Cow Ghee (ब्राण्ड सुदर्शन) होलसेल विक्रेता अप्रार्थी संख्या 2 से खरीद किया जाता है एवं जिस अवस्था में खरीद किया जाता है उसी अवस्था में आमजन को विक्रय किया जाता है। Cow Ghee (ब्राण्ड सुदर्शन) के लेबलिंग पैकेजिंग एवं उत्पाद में किसी प्रकार की फ़ैर बदल/मिलावट हमारी फर्म के द्वारा नहीं की जाती है। ऐसे में उक्त Cow Ghee (ब्राण्ड सुदर्शन) के अवमानक होने में हमारी अप्रार्थी संख्या 1 का कोई दोष नहीं है, इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 को दोषमुक्त कर प्रकरण ड्रॉप फरमावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.01.2025 को अप्रार्थी की फर्म मैसर्स प्रमिला प्रोविजन स्टोर बस स्टेण्ड सोजत सिटी,पाली से लिया गया Cow Ghee (ब्राण्ड सुदर्शन) का नमुना वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर-2792 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबंध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये Cow Ghee (ब्राण्ड सुदर्शन) का नमुना कोड संख्या आर-2792 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर भिजवाया गया, जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया Cow Ghee (ब्राण्ड सुदर्शन) का नमुना Sub Standard (अवमानक) पाया गया, जिसकी प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक अप्रार्थी को भिजवायी गयी। जिसके संबंध में अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का जवाब या पुनः जांच हेतु किसी प्रकार का आवेदन नहीं करने एवं एक माह



*(Handwritten signature)*


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
पाली

से ज्यादा समय व्यतित होने से प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया। खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार Cow Ghee (ब्राण्ड सुदर्शन) अवमानक पाया गया। प्रार्थी ने नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए प्रकरण न्यायालय के समक्ष पेश किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म से Cow Ghee (ब्राण्ड सुदर्शन) का सेम्पल लेते समय नियमानुसार खाद्य सुरक्षा नियमों के मानको को अपनाते हुए सेम्पल लिया एवं खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया जिसमें किसी प्रकार के नियमों की अवहेलना नहीं पायी गयी। जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी ने अवमानक स्तर का Cow Ghee (ब्राण्ड सुदर्शन) आमजन को विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लंघन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा Sub-standard (अवमानक) Cow Ghee (ब्राण्ड सुदर्शन) का विक्रय किये जाने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 पर 40,000/- रुपये अक्षरे चालीस हजार रुपये मात्र तथा अप्रार्थी संख्या 2 पर 1,00,000/- रुपये अक्षरे एक लाख रुपये मात्र कुल एक लाख चालीस हजार रुपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करे। निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। प्रार्थी उक्त आदेश की पालना अप्रार्थी से 15 दिवस में करवाकर पालना रिपोर्ट एवं चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(डॉ बजरंग सिंह)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
पाली